अनुदान संख्या 16 - उपभोक्ता मामले विभाग
GRANT No. 16–DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	450,75, 00	450,76,00	355,68,27	–95,07,73
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				70,54,68
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		30,15,00	22,06,23	–8,08,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				6,45,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	1344.00	1476.51	1444.73	–31.78
पु.	R.	132.51			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1888.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–1888.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	1462.00	126.00	121.00	–5.00
पु.	R.	–1336.00			
मुख्य शीर्ष "3425" अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Major Head "3425" Other Scientific Research				
मू.	O.	2899.00	2631.24	2543.36	–87.88
पु.	R.	–267.76			
मुख्य शीर्ष "3456" सिविल पूर्ति	Major Head "3456" Civil Supplies				
मू.	O.	9977.00	10070.60	9174.19	–896.41
पु.	R.	93.60			
मुख्य शीर्ष "2408" खाद्य, भंडारण और भांडागार	Major Head "2408" Food, Storage and Warehousing				
मू.	O.	20000.00	17513.33	16802.01	–711.32
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–2487.67			
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	4134.00	2713.04	2028.48	–684.56
पु.	R.	–1420.96			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	2871.00	3410.60	3424.50	+13.90
पु.	R.	539.60			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र. की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	500.00	80.00	30.00	–50.00
पु.	R.	–420.00			

(I) 2983.00 लाख रु. का प्रावधान इक्कीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 2495.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "सिविल पूर्ति" -

(i) "निदेशन और प्रशासन - उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ" - 800.00 लाख रु.;

(ii) "उपभोक्ता संरक्षण पर एकीकृत परियोजना" - 200.00 लाख रु.; और

(ख) "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" -

(i) "माप और तोल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण"- 328.00 लाख रु.; और

(I) Provision of Rs.2983.00 lakhs remained wholly unutilized under twenty one heads; of these Rs.2495.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" –

(a) "Civil Supplies" –

(i) "Direction and Administration - Consumer Protection Cell" – Rs.800.00 lakhs;

(ii) "Integrated Project on Consumer Protection" – Rs.200.00 lakhs; and

(b) "Other General Economic Services" –

(i) "Strengthening of Weights and Measures Infrastructure" – Rs.328.00 lakhs; and

(ii) ''वायदा बाजार आयोग का सुदृढ़ीकरण''- 180.00 लाख रु.।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों/आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iii) ''क्षेत्रीय रेफरन्स मानक प्रयोगशाला, गुवाहाटी''- 148.00 लाख रु. निष्पादन अभिकरणों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''सामान्य - मानकीकरण तथा गुणवत्ता नियंत्रण'' -

(क) ''राष्ट्रीय मूल्यांकन और अनुपालन प्रणाली'' - 704.00 लाख रु. स्कीम को योजना आयोग के परामर्श से तैयार किए जाने के कारण थे।

(ख) ''मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण'' - 135.00 लाख रु. उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''सामान्य मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण - मानकीकरण की राष्ट्रीय प्रणाली'' के अन्तर्गत 493.00 लाख रु. की बचत (533.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3425'' - ''अन्य - राष्ट्रीय परीक्षण गृह - नमूना परीक्षण केन्द्र'' के अन्तर्गत 355.64 लाख रु. की बचत (2899.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चिकित्सा दावे कम प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3456'' - ''निदेशन और प्रशासन'' के अन्तर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(ii) "Strengthening of Forward Markets Commission" – Rs.180.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(iii) "Regional Reference Standard Laboratory, Guwahati" – Rs.148.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from the implementing agencies.

(B) Major Head "2852" – "General - Standardisation and Quality Control" –

(a) "National system for Assessment and Compliance" – Rs.704.00 lakhs - due to scheme being under formulation in consultation with Planning Commission.

(b) "HRD/Capacity Building" – Rs.135.00 lakhs - due to non-receipt of utilisation certificates.

(II) Under Major Head "2852" – "General - Standardisation and Quality Control – National System for Standardisation" – saving of Rs.493.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.533.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates.

(III) Under Major Head "3425" – "Others - National Test Houses - Sample Testing Centre" – saving of Rs.355.64 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2899.00 lakhs) was due to receipt of less medical claims and economy measures.

(IV) Under Major Head "3456" – "Direction and Administration" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ'' - 467.82 लाख रु. की बचत (7791.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को प्राधिकृत स्कीमों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(खा) ''उपभोक्ता शिक्षा और प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण''-249.00 लाख रु. की बचत (606.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को स्थायी वित्त समिति से अनुमोदन प्राप्त होने में विलम्ब होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष''2408''-''खाद्य, भंडारण और भांडागार-खाद्य आर्थिक सहायता - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दलहनों के आयात पर हुई हानि को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता'' - 3198.99 लाख रु. की बचत (मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 20001.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा अंतिम प्रतिपूर्ति दावों के निपटान की प्राप्ति में विलम्ब होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''3475'' के अन्तर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुईं:-

(का) ''माप और तोल का विनियमन - माप और तोल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण'' - 1018.09 लाख रु. की बचत (1472.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति एवं निपटान महानिदेशक द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आपूर्ति के लिए सी एन जी/एल पी जी के डिस्पेंसरों की जांच हेतु सीएनजी/एलपीजी किटों की पूर्ति संबंधी निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) ''बाजार विनियमन'' -

(क) ''वायदा बाजार आयोग'' - 133.45 लाख रु. की बचत (649.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम चिकित्सा संबंधी दावे प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''वायदा बाजार आयोग का सुदृढ़ीकरण'' - 940.52 लाख रु. की बचत (1620.00 लाख रु. के स्वीकृत

(A) "Consumers Protection Cell" – saving of Rs.467.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7791.00 lakhs) was due to requirement of less funds by Directorate of Advertising and Visual Publicity on the authorized schemes.

(B) "Consumer Education and Training, HRD/ Capacity Building" – saving of Rs.249.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.606.00 lakhs) was due to delay in receipt of approval of the schemes from Standing Finance Committee.

(V) Under Major Head "2408" – "Food, Storage and Warehousing - Food Subsidy - Subsidy for meeting losses on import of Pulses by PSUs" – saving of Rs.3198.99 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.20001.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh obtained in March, 2010) was due to delay in receipt of clearance of final re-imbursement claims from the Ministry of Finance.

(VI) Under Major Head "3475" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Regulation of Weights and Measures - Strengthening of Weights and Measures Infrastructure" – saving of Rs.1018.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1472.00 lakhs) was due to non-finalisation of tender for supply of CNG/LPG kits for testing of CNG/LPG dispensers for supply to States and Union Territories by Director General of Supplies and Disposals.

(B) "Regulation of Markets" –

(a) "Forward Markets Commission" – saving of Rs.133.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.649.00 lakhs) was due to receipt of less medical claims and economy measures.

(b) "Strengthening of Forward Markets Commission" – saving of Rs.940.52 lakhs

प्रावधान की तुलना में) कार्यालय स्थानान्तरण के लिए उपयुक्त परिसर की पहचान न किए जाने, सहायता अनुदान संबंधी प्रस्तावों की प्राप्ति में विलम्ब होने और उपस्कर एवं साफ्टवेयर की खरीद के प्रस्तावों के मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष ''3601'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''योजनेतर अनुदान - सिविल पूर्ति - सिविल पूर्ति स्कीम - उपभोक्ता कल्याण कार्यक्रम के लिए अनुदान'' - 170.00 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से राज्य उपभोक्ता कल्याण निधियों और उपभोक्ता क्लबों के प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) ''केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सिविल पूर्ति - सिविल पूर्ति स्कीम - उपभोक्ता हेल्पलाइन'' - 242.65 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सिविल पूर्ति - सिविल पूर्ति स्कीमें - माप और तोल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण'' - 175.00 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी आंशिक रुप से प्रति संतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - उपभोक्ता मामले विभाग'' - 100.73 लाख रु. का अधिक व्यय (1344.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(against the sanctioned provision of Rs.1620.00 lakhs) was due to non identification of suitable premises for shifting of office, delay in receipt of proposals for grants-in-aid and non-materialization of proposals for purchase of equipment and software.

(VII) Under Major Head "3601" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Non-Plan-Grants - Civil Supplies - Civil Supplies Scheme - Grants for Consumer Welfare Programme" – saving of Rs.170.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals for State Consumer Welfare Funds and Consumer Clubs from the State Governments.

(B) "Grants for Central Plan Schemes - Civil Supplies- Civil Supplies Scheme - Consumer Helpline" – saving of Rs.242.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from the State Governments.

(VIII) Under Major Head "3602" – "Grants for Central Plan Schemes - Civil Supplies - Civil Supplies Schemes - Strengthening of Weight and Measures Infrastructure" – saving of Rs.175.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from Union Territory Governments.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Consumer Affairs" – excess of Rs.100.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1344.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for implementation of Sixth Central Pay Commission Report.

(II) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सिविल पूर्ति - सिविल पूर्ति स्कीम - माप और तोल अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण" - 922.62 लाख रु. का अधिक व्यय (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने और पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक की राज्य सरकारों से प्राप्त मांग का निपटान करने के कारण हुआ।

(II) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes - Civil Supplies - Civil Supplies Scheme - Strengthening of Weight and Measures Infrastructure" – excess of Rs.922.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and to clear demand received from the State Governments of West Bengal, Gujarat, Orissa, Chattisgarh and Karnataka.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	202.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–202.00			
मुख्य शीर्ष "5475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5475" Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	1538.00	1145.00	1067.12	–77.88
पु.	R.	–393.00			
मुख्य शीर्ष "7475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए कर्ज	Major Head "7475" Loans for Other General Economic Services				
मू.	O.	200.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–200.00			

(I) 462.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिनमें से 350.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "मुख्य शीर्ष 4552" - "सिविल पूर्ति - राष्ट्रीय परीक्षण गृह" - 150.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "7475" - "सिविल पूर्ति - शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों को कर्ज" - 200.00 लाख रु. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सुपर बाजार को पुन: चालू किए जाने की वजह से कर्ज जारी न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "5475" - "सिविल पूर्ति - क्षेत्रीय रेफरन्स मानक प्रयोगशालाएं" के अंतर्गत 400.71 लाख रु. की बचत (488.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्ति एवं निपटान महानिदेशक द्वारा निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

4. उपभोक्ता कल्याण निधि:-

उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना 1991 में उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए निधियों का उपयोग करने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) में संशोधन करके बनाए गए नियमों के अनुसार की गई थी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अधीन जिस राशि की वापसी विनिर्माताओं को नहीं की जाती है, वह इस निधि में जमा हो जाती है।

उपभोक्ता कल्याण निधि नियम 25 नवंबर, 1992 को अधिसूचित किए गए थे। तत्पश्चात, नियमों को अधिक व्यापक आधारित बनाने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की सिफारिश पर इनमें 27 जनवरी, 1994 को और संशोधन किए गए। इन नियमों के बाद में संशोधन 16.06.94, 16.01.95 और 13.06.2002 को किए गए। इस निधि की स्थापना राजस्व विभाग द्वारा की गई तथा उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देने और संरक्षण प्रदान करने के लिए देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वैच्छिक उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसे उपभोक्ता मामले,

(I) Provision of Rs.462.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads; of these Rs.350.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4552" – "Civil Supplies - National Test House" – Rs.150.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "7475" – "Civil Supplies - Loans to Consumer Co-operative Societies in Urban Areas" – Rs.200.00 lakhs - due to non-release of loan owing to revival of Super Bazar as per order of the Honourable Supreme Court.

(II) Under Major Head "5475" – "Civil Supplies – Regional Reference Standard Laboratories" – saving of Rs.400.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.488.00 lakhs) was due to non-finalisation of tender by Director General of Supplies and Disposals.

4. Consumer Welfare Fund:-

Consumer Welfare Fund was constituted in 1991 by amending Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944) for utilizing the funds for welfare of the consumers in accordance with the rules framed. Money which is not refundable to the manufacturers under the Central Excise Act is credited to the fund.

Consumer Welfare Fund rules were notified on 25th November, 1992. Subsequently on the recommendations of the Central Consumer Protection Council, the rules were further amended on 27th January, 1994 to make it more broad based. Subsequent modifications to the rules took place on 16.06.94, 16.01.95 and 13.06.2002. Fund has been set up by Department of Revenue but is operated by Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution for providing financial assistance to promote and protect the

खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा परिचालित किया जाता है।

वर्ष 2009-2010 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:-

(हजार रुपयों में)

welfare of consumers and strengthen the voluntary consumer movement in the country particularly in the rural areas.

The Account of the Fund for 2009-2010 was as follows:-

(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	117,07,73
प्राप्तियां	Receipts	13,18,19
अदायगियां	Payments	10,85,92
अंतशेष	Closing Balance	119,40,00